

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 61(अ) दिनांक 29 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 24 में, शब्द "प्रतिस्थापित" के स्थान पर शब्द "अंतःस्थापित" पढ़ें ।

(फाइल संख्या 354/47/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार